क्रम-संख्या–521

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०–4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1––खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 सितम्बर, 1979
भाद्रपद 23, 1901 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग–1

संख्या 2406/सत्रह–वि0–1––76-1979
लखनऊ, 14 सितम्बर, 1979

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर (निरसन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 13 सितम्बर, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (निरसन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1979)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर अधिनियम, 1963 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (निरसन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1963 का निरसन

2––पहली जुलाई, 1979 को, और उस दिन से, उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर अधिनियम, 1963 निरसित हो जायेगा।

व्यावृत्ति

3--धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन से--

(क) उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन, या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर, या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर, या

(ग) उक्त अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर, या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही, या उपचार इस प्रकार संस्थित किया, चालू रखा या प्रवर्तित किया जा सकता है और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकता है, मानो उक्त अधिनियम निरसित न किया गया हो।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1979 का निरसन

4--उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (निरसन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 2406/XVII-V-1—76-79
Dated Lucknow, September 14, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vrihat Jot Kar (Nirsan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 1979:

THE UTTAR PRADESH VRIHAT JOT-KAR (NIRSAN) ADHINIYAM, 1979

[U. P. Act No. 31 of 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Vrihat Jot-Kar Adhiniyam, 1963.

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Vrihat Jot-Kar (Nirsan) Adhiniyam, 1979.

Repeal of U. P. Act 12 of 1963.

2. On and from the first day of July, 1979, the Uttar Pradesh Vrihat Jot-Kar Adhiniyam, 1963 shall stand repealed.

Savings.

3. The repeal of the Act referred to in section 2 shall not affect—

(*a*) the previous operation of the said Act or anything duly done or suffered thereunder, or

(*b*) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act, or

(*c*) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Act, or

(*d*) any investigation, legal proceeding or remedy, in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Act had not been repealed.

Repeal of U. P. Ordnanace No. 18 of 1979.

4. The Uttar Pradesh Vrihat Jot-Kar (Nirsan) Adhyadesh, 1979 is hereby repealed.

By order,
R. C. DEO SHARMA,